


10.2.23

तहसीलदार झुन्झुनू के द्वारा पत्रावली सं. 20/23 उनवानी सरकार बनाम रास्ता प्रकरण वगै० (अभिषेक वगै० निवासी खंगा का बास) में पारित निर्णय दिनांक 9.1.2023 के बाबत रिब्यू प्रा० पत्र पेश कर प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 9.1.2023 को अपास्त करने का निवेदन किया है। प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर कर मूल पत्रावली सीगे से तलब कर पेशी में ली गई। प्रा० पत्र रिब्यू पर सुना गया। प्रा० पत्र में वर्णित तथ्यों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। मूल पत्रावली का अवलोकन करते हुए राज्य सरकार से प्राप्त परिपत्रों का अवलोकन किया गया। परिपत्र क्रमांक प. 3(17) राज - 6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.9.21 व परिपत्र क्रमांक प. 3(2) राज-6/2003/पार्ट 04/ दिनांक 10.8.16 के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.1.23 में हितवद्ध पक्षकारों को बिना सुने आदेश पारित किया जाना विधि विरुद्ध होना जाहिर है। अतः उक्त परिजनों व रिब्यू प्रा० पत्र तहसीलदार में वर्णित तथ्यों के हाजिर गत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.1.23 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनू राज्य सरकार द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार पुनः कार्यवाही करें। आदेश की प्रति तहसीलदार झुन्झुनू को पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।


10.02.23
अध्यक्ष (अ.प्र.)